

न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास सुश्री दिव्या RAS

वादपत्र सं. 163/2024

अनुवान लिछमणराम बनाम कमलादेवी आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955

एवं धारा 136 राज.भू.रा. अधि 1956

निर्णय दिनांक 17/02/25

लिछमणराम पुत्र चिमनाराम जाति नायक निवासी राजासर बीकान तहसील सरदारशहर
जिला चूरु राजस्थान

--वादी

बनाम

1. कमलादेवी पत्नी मघाराम जाति गुरड़ा निवासी सवाई सावल तहसील सरदारशहर
जिला चूरु राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरु

--प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

1. श्री ओमप्रकाश जांधु, बन्टी सिंह राठौड़ एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री महेन्द्र कुमार सीवर, आदेश सीवर, प्रकाश गर्ग एडवोकेट प्रतिवादी सं० 1
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं० 2

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख०
नं० 618 रकबा 25 बीघा 15 बिश्वा रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर में
चानणराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी राजासर बीकान के नाम से स्थित रही है,
जिसमें से वादी ने खातेदार चानणराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी राजासर
बीकान से 12 बीघा कृषि भूमि अगूने पासे की खरीद की थी। जो जरिये इंतकाल सं०
605 दिनांक 21.05.1992 से वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुई। जिस पर
वादी अपनी हिस्से की अगूने पासे की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगा। शेष
भूमि पर चानणराम की कब्जा काश्त रही जिसके नये ख०नं० 960 रकबा 3.4800 हैक्टेयर
चानणराम के नाम एवं ख०नं० 961 रकबा 3.0400 हैक्टेयर वादी के नाम कायम हुए।
इसके पश्चात खातेदार चानणराम अपनी शेष रही उक्त भूमि ख०नं० 960 रकबा 3.4800
हैक्टेयर रोही राजासर बीकान को प्रतिवादी सं० 1 को विक्रय कर दिया जिसका इंतकाल
सं० 955 दर्ज हुआ। वादी अपनी खरीदशुदा भूमि हाल ख०नं० 961 रकबा 3.0400
हैक्टेयर रोही राजासर बीकान पर खरीद की दिनांक से गत ख०नं० 618 की अगूणी




कारि
चूरु)

तरफ की भूमि पर कब्जा काशत है जिसकी अगूणी सीव के पास से सड़क गुजरती है तथा प्रतिवादी सं० 1 का पश्चिमी तरफ की भूमि पर कब्जा काशत चला आ रहा है। वर्तमान में संवत् 2072 में हुए बन्दोबस्त के दौरान वादी के खेत के नक्शे को गलत रूप से पश्चिमी तरफ तरमीम कर दिया तथा प्रतिवादी सं० 1 की भूमि को सड़क मार्ग पर वादी के खेत की भूमि के स्थान पर तरमीम कर दिया जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। मौके पर कब्जा काशत वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 का खरीदशुदा भूमि के अनुसार ही है। वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 का गलत एवं सही नक्शा निचे प्रदर्शित किया जा रहा है :-

शुद्ध नक्शा "ए"



अशुद्ध नक्शा 'बी'



वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 अपने-अपने खेतों को दावा की मद सं० 2 में बने नक्शा 'ए' के अनुसार काबिज होकर काशत करते हैं। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के खेतों की आकृति व संरचना मौके पर नक्शा 'ए' के अनुसार बनी हुई है। सेटलमेंट के कर्मचारियों ने दौराने सेटलमेंट संवत् 2072 में वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के खेतों को मौके एवं कब्जा काशत के विपरीत दावा की मद सं० 2 में बने नक्शा 'बी' के अनुसार गलत तरमीम कर दिया। जबकि बन्दोबस्त के कर्मचारियों को मौका व कब्जा काशत के विपरीत नक्शा तैयार करने का हक एवं अधिकार नहीं था। बन्दोबस्त के कर्मचारियों ने दौराने बन्दोबस्त वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के खेतों की आकृति व संरचना गलत बनाते हुए गलत रूप से नक्शे राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा 'बी' के अनुसार तरमीम कर दिये जबकि उन्हें नक्शा 'ए' के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 का नक्शा तरमीम करना चाहिये था। सेटलमेंट के कर्मचारियों को दौराने सेटलमेंट राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों को तथा नक्शों को मौके पर बनी आकृति/संरचना के अनुरूप ही नक्शा में तरमीम किये जाने का अधिकार है। जबकि सेटलमेंट के कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादी को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वादी के खेत ख० नं० 961 रोही राजासर बीकान को प्रतिवादी सं० 1 की भूमि में तथा प्रतिवादी सं० 1 की भूमि को वादी की भूमि के स्थान पर कब्जा व मौके से विपरीत तरमीम कर देने से अनावश्यक विवाद हो गया। वादी दावा की मद सं० 2 में प्रदर्शित किये गये नक्शा 'ए' के अनुसार

राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरुस्त करवाने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरुस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है जिसके लिए यह दावा श्रीमान जी के समक्ष पेश किया जा रहा है। वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल कर प्रतिवादी सं० 1 से सम्पर्क किया और उसे खेतों के बने गलत नक्शा को दुरुस्त करवाने के लिए तहसील कार्यालय सरदारशहर साथ चलने को कहा तो प्रतिवादी सं० 1 ने कहा कि मेरा खेत मौके पर जिस आकृति में बना हुआ है उस आकृति में राजस्व कर्मचारियों को रिकॉर्ड में अपनने आप तरमीम करना होगा अन्यथा जब कभी गांव में कैम्प लगेगा तब राजस्व कर्मचारियों से बात कर लेंगे ऐसा कहते हुए साथ चलकर रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने से दिनांक 28.08.2027 को रोही राजासर बीकान में स्पष्ट इनकार कर दिया। जिस पर वादी राजस्व रिकॉर्ड नक्शा की नकले लेकर नक्शा दुरुस्त करवाने के लिए दिनांक 28.08.2024को तहसील कार्यालय सरदारशहर प्रतिवादी सं० 2 के पास गया तब प्रतिवादी सं० 2 द्वारा मामला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का होने का कहते हुए राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरुस्त करने से दिनांक 28.08.2024 को इनकार कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी सं० 2 द्वारा इनकार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हेतुक वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। प्रतिवादी सं० 2 तहसीलदार सरदारशहर को पक्षकार वाद बनाए जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उनसे किसी प्रकार का नुकसानदेह अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा डिक्री होने की सूरत में उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम किया जाना है। इसलिए उनको बिना 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए ही पक्षकार दावा बनाया गया है। वादगत कृषि भूमि रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर में स्थित होने से दावा हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा वादी उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है। वादी ने अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावे कि वादी के खेत ख० न० 961 रकबा 3.0400 हैक्टियर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर के खेत की आकृति दावा की मद सं० 2 के नक्शा 'ए' में प्रदर्शितानुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा को दुरुस्त किया जावे। अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी प्रदान किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार सीवर, आदेश सीवर, प्रकाश गर्ग एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया और राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से और प्रतिवादी सं० 2 पैरोकार राज के विरुद्ध वादी द्वारा कोई प्रतिकूल अनुतोष नहीं चाहने से तथा वादी के खेत का नक्शा दुरुस्त होने से राज्य के हितों पर कोई विपरित असर नहीं पड़ेगा। प्रतिवादी सं० 2 का जवाब दावा बन्द किया गया। वादी के दावा का कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की गई। वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर बहस की इस्तदुआ चाही।

पक्षकारों ने राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत किया कि "दावा की मद सं० 2 में प्रदर्शित शुद्ध नक्शा 'ए' के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के खेतों के नक्शे तस्मीम कर दिये जावे तथा वादी के खेत ख०नं० 961 रकबा 3.4800 हैक्टियर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर की दक्षिणी सीव के सहारे-सहारे पूर्व से पश्चिम प्रतिवादी सं० 1 के खेत ख०नं० 960 की सीव तक 102 फुट लम्बाई में व 30 चौड़ाई में सरता तस्मीम करते हुए रास्ता की भूमि 0.02842 हैक्टियर वादी के ख०नं० 961 के रकबा में से कम कर वादी के नाम ख०नं० 961 रकबा 3.4510 हैक्टियर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर दर्ज किया जावे तथा 0.02842 हैक्टियर भूमि राजस्व रिकार्ड में सरता भूमि के रूप में दर्ज कर दावा डिक्री किया जावे।"

बहस वकूलाय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान दावा के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख की ओर दिलाया गया और कथन किया कि वादी के खेत का नक्शा सेटलमेंट के दौरान गलत रूप से तस्मीम कर दिया जबकि मौके पर कब्जा काश्त वादी का सड़क की भूमि की तरफ है। वादी ने पूर्व खातोदार से अगूणे पास की भूमि खरीद की थी तथा उसी अगूणी तरफ पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के भूमि खरीद करने के पश्चात शेष रही पश्चिमी तरफ की भूमि प्रतिवादी सं० 1 ने खरीद कर ली थी। दावा की मद सं० 2 में प्रदर्शित नक्शा मार्क 'ए' के अनुसार वादी वादागत भूमि का नक्शा दुरुस्त करवाना चाहता है तथा प्रतिवादी सं० 1 के खेत में आवागमन के लिए वादी अपनी भूमि में से दक्षिणी सीव के सहारे-सहारे पूर्व से पश्चिम प्रतिवादी सं० 1 के खेत ख०नं० 960 की सीव तक 102 फुट लम्बाई में व 30 फुट चौड़ाई में 0.02842 हैक्टियर भूमि वादी अपने खेत ख०नं० 961 रकबा 3.4800 हैक्टियर में से कम करवाकर अपना रकबा 3.4510 हैक्टियर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए सहमत है। रास्ते की भूमि रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाय। प्रतिवादी सं० 1 के अधिवक्ताओं ने भी राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए वादी के कथनों का समर्थन किया। वादी का वाद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, राजीनामा प्रार्थना पत्र व वादी के तथ्यों से प्रमाणित है। प्रकरण के विचारण में यह तथ्य उभर कर आया कि पक्षकारान वाद के खेत का नक्शा को मौके व कब्जा काश्त के विपरित तस्मीम किया गया है तथा प्रतिवादी सं० 1 के खेत में आवागमन का रास्ता नहीं है। यह तथ्य पक्षकारान वाद प्रमाणित करने में सफल रहे है।

वकील पक्षकारान के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया कि वादी के खेत ख० नं० 961 रकबा 3.0400 हैक्टियर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर के खेत की आकृति दावा की मद सं० 2 के नक्शा 'ए' में प्रदर्शितानुसार तस्मीम कर राजस्व रिकार्ड नक्शा को दुरुस्त किया जाना न्यायसंगत है तथा प्रतिवादी सं० 1 के खेत में आवागमन का रास्ता वादी के खेत ख०नं० 961 की दक्षिणी सीव के सहारे पूर्व से पश्चिम प्रतिवादी सं० 1 के खेत

ख0नं0 960 की सीव तक 102 फुट लम्बाई में 30 चौड़ाई में रास्ता तरमीम कर वादी के खेत ख0नं0 961 रकबा 3.4800 हैक्टियर में से रास्ते की भूमि 0.02842 हैक्टियर कम कर वादी के खेत ख0नं0 961 का रकबा 3.4510 हैक्टियर दर्ज किया जाने एवं रास्ता की भूमि रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी न्यायसंगत है। फलस्वरूप पक्षकारान वाद वादागत कृषि भूमि के उपर वर्णित खसरो के नक्शों को दुरुस्त करवाते हुए रास्ता भूमि तरमीम करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि दावा की मद सं0 2 में प्रदर्शित शुद्ध नक्शा 'ए' के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के खेतों के नक्शे तरमीम कर दिये जावे तथा वादी के खेत ख0नं0 961 रकबा 3.4800 हैक्टियर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर की दक्षिणी सीव के सहारे-सहारे पूर्व से पश्चिम प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0नं0 960 की सीव तक 102 फुट लम्बाई में व 30 चौड़ाई में रास्ता तरमीम करते हुए रास्ता की भूमि 0.02842 हैक्टियर वादी के ख0नं0 961 के रकबा में से कम कर वादी के नाम ख0नं0 961 रकबा 3.4510 हैक्टियर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर दर्ज किया जावे तथा 0.02842 हैक्टियर भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ता भूमि के रूप में दर्ज कर दावा डिक्री किया जावे। खसरा नम्बर यथावत रखते हुए नक्शों का स्थान परिवर्तन रास्ता तरमीम करते हुए किया जावे। भूमि रहन यथावत रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।


दिव्या (आर.ए.एस.)
जुज साहायक कलेक्टर
सरदारशहर (दिल्ली)



निर्णय आज दिनांक 17/02/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकन सुनाया गया।


दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (दिल्ली)

डिकरी व मुकदमे इब्ददाई

(ऑर्डर 20 रूल-47 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

बइजलास सुश्री दिव्या RAS

वादपत्र सं. 163/2024

अनुवान लिखमणराम बनाम कमला देवी आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 एवं धारा 136 राज.भूरा. अधि 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालकतई रु ब रुउपखण्ड अधिकारी सरदारशहर

हाजरी ओमप्रकाश चौधरी भिनजानिब मुहई श्री महेन्द्र कुमार सीवर, आदेश सीवर, प्रकाश गर्ग एवं तहसीलदार सरदारशहर भिनजानिबमुहायल पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा की मद सं0 2 में प्रदर्शित शुद्ध नक्शा 'ए' के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के खेतों के नक्शे तरमीम कर दिये जावे तथा वादी के खेत ख0नं0 961 रकबा 3.4800 हैक्टयर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर की दक्षिणी सीव के सहारे-सहारे पूर्व से पश्चिम प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0नं0 960 की सीव तक 102 फुट लम्बाई में व 30 चौड़ाई में रास्ता तरमीम करते हुए रास्ता की भूमि 0.02842 हैक्टयर वादी के ख0नं0 961 के रकबा में से कम कर वादी के नाम ख0नं0 961 रकबा 3.4510 हैक्टयर रोही राजासर बीकान तहसील सरदारशहर दर्ज किया जावे तथा 0.02842 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ता भूमि के रूप में दर्ज कर दावा डिक्री किया जावे। खसरा नम्बर यथावत रखते हुए नक्शों का स्थान परिवर्तन रास्ता तरमीम करते हुए किया जावे। भूमि रहन यथावत रहेगी।

.....बीजमुबलिग

बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह

.....फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल नगदी रु..... का अदा करें।

मेरे दस्तखत मुहर अदालत से आज तारीख 17 माह 02/2025 को जारी की गई है।

मुहर

मुहायलाह
स्टाम्प अर्जी
महनताना वकील
खर्चा गावाहन
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुत्फारिक

सरदारशहर (चूर)

मुहई

स्टाम्प अरजीदावा

रूपया पै

मुहायलाह

रूपया पै

स्टाम्प वकालतनामा

स्टाम्प अर्जी

रूपया पै

महनताना वकील

महनताना वकील

रूपया पै

खर्चा गावाहन

खर्चा गावाहन

रूपया पै

फीस कमिश्नर

फीस कमिश्नर

रूपया पै

बाबत इजराय हुक्मनामा

बाबत इजराय हुक्मनामा

रूपया पै

मुत्फारिक

मुत्फारिक

रूपया पै